Volume : 2 | Issue : 2 | february 2013 ISSN - 2250-1991

Research Paper Commerce

Jilla Sahkari Krushi Aur Gramin Vikas Bank Rajnandgav Samasya, Uplabdhiya Aur Sambhavnaye (2006-2011)

जिला सहकारी कृशि एवं ग्रामीण विकास बैंक राजनांदगांव समस्याएं, उपलब्धियां एवं सम्भावनाएँ (२००६-२०११)

* Dr. S. H. Bhatiya ** Dr. Harjindrapal Sing Saluja
*** Dr. Ravish Kumar Sony **** Sangita Sakvar Mehuriya

* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) षास. दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव (छ.ग.)

** सहा. प्राध्यापक (वाणिज्य) षास. विष्वनाथ यादव तामस्कर महाविद्यालय,दुर्ग (छ.ग)

*** सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भिलाई नगर (छ.ग.)

**** सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) षासकीय महाविद्यालय भिलाई-३ (छ.ग.)

१.परिचय :-

जिला सहकारी कृशि एवं ग्रामीण विकास बैंक राजनांदगांव जो पूर्व में जिला भूमि विकास बैक राजनांदगांव के नाम से जाना जाता था का गठन १३ फरवरी १९७५ को हुआ था। दीर्घावधि के लिए कृशि ऋण प्रदान करना इस बैंक की विषिश्ट पहचान है। इस बैंक द्वारा ५ से २० वर्श की अवधि तक के लिए ऋण दिये जाते है।

इसका कार्यक्षेत्र संपूर्ण राजनांदगांव जिला है। यह बैंक अपनी विभिन्न षाखाओं के माध्यम से जिले के कृशकों को उनकी कृशि भूमि को बंधक रखकर उन्हें दीर्घावधि कृशि, ऋण प्रदान करता आ रहा है। बैंक द्वारा मुख्यत: नवीन कूप निर्माण, पंप सैट, बैलजोंडी, गाडी, डेयरी मछलीपालन, ट्रेक्टर, पावर टीलर, थ्रेसर इत्यादि प्रयोजनो हेतु कृशकों को ऋण मुहैया कराया गया है। वित्तीय वर्श २००१-२००२ से बैंक द्वारा अकृशि कार्यो जैसे मिनी ट्रक, छोटे आटो रिक्षा, ग्रामीण आवास, ईटा भट्ठा, आयल मिल पोहा मिल, मिनी राइस प्लांट इत्यादि हेतु भी ऋण वितरण प्रारंभ कर दिया गया है। इस प्रकार इस बैंक द्वारा जिले के कृशि व ग्रामीण विकास हेतु कृशको को कृशि के साथ अकृशि कार्यो हेतु भी वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जा रही है।

२. षोध के उद्देष्य :-

यह षोध कार्य निम्न उेष्यो को ध्यान में रखकर किया गया है।

१. बैंक द्वारा जिले के कृशको को कृशि व अकृशि कार्यो हेतु प्रदत्त ऋणो के फलस्वरूप जिले के कृशको की आय में हुई वृद्धि व प्रगति का आंकलन करना तथा देखना की यह पर्याप्त व संतोशजनक है या नही।
२. इस बात का अध्ययन करना ही क्या कृशक बैंक की कार्यप्रणाली से संतुश्ट है यदि नही तो किन बातों को लेकर उनमें असंतोश है व इस असंतोश को कैसें दूर किया जा सकता है।
३. बैंक को अपने कार्यो के संचालन में किन-किन समस्याओं का सामना करना पड रहा है।
४. बैंक की समस्याओ के समाधान हेतु प्रभावी उपायों को प्रस्तुत करना जिससे बैंक की प्रगति सुनिष्चित हो सके।

३. षोध प्रविधि :-

प्रस्तुत षोध कार्य मुख्यत: द्वितीयक समंको के आधार पर किया गया है जिन्हें जिला सहकारी कृशि एवं ग्रामीण विकास बैंक राजनांदगांव द्वारा प्रकाषित वार्शिक प्रतिवेदनों, बैंक द्वारा संधारित विभिन्न लेखा पुस्तकों, षीर्श बैंक व नाबार्ड द्वारा प्रकाषित प्रतिवेंदनों सहकारिता संबंधी विभिन्न पत्रिकाओं व सामाचार पत्रों से संकलित किया गया। इसके अतिरिक्त जिला बैंक की हर षाखा से संबंधित ५०-५० हितग्राहियों का चयन दैव निर्दषन पद्धति के आधार पर किया गया तथा इन हितग्राहियों से साक्षात्कार के माध्यम से इनके ऋण उददेष्य, ऋणराषि, ऋण की पर्याप्तता, ऋण लेने में हुई कठिनाईयों आदि कि जानकारी प्राप्त की गई। साथ ही बैंक की कार्यप्रणाली के संदर्भ में कर्मचारी, प्रबंधकों, प्रषासक व जनप्रतिनिधियों के विचारों को भी संकलित किया गया। संकलित समंकों का विष्लेशण विभिन्न सांख्यिकीय रीतियों का प्रयोग करते हुए षोध के संबंध में निश्कर्श ज्ञात किए गए।

४. परिकल्पनाएं :-

इस षोध कार्य के संबंध में निम्न परिकल्पनाएं की गई थी :-

१. दीर्घकालीन कृशि ऋण की सुविधाओं से जिले के कृशक लाभान्वित हुए हैं।
२. ऋण प्रक्रिया जटिल हैं।
३. बैंक राजनैतिक हस्तक्षेप से मुक्त नही हैं।
४. जिले में षाखाओं का अपेक्षित विस्तार नही हुआ हैं।
५. बैंक द्वारा प्रदा ऋणों में कई ऋण ऐसे है जो कालातीत हुए हैं तथा जिनकी अदायगी अभी तक लंबित है।

पंजीयन :-

सहकारी कृशि एवं ग्रामीण विकास बैंक का पंजीयन सहकारी संस्थाएं अधिनियम के तहत होता है क्योंकि ये बैंक भारतीय बैंकिंग अधिनियम से संचालित न होकर प्रातीय सहकारिता अधिनियम के आधार पर संचालित होते हैं। जिला सहकारी कृशि एवं ग्रामीण विकास बैंक राजन. ांदगांव का पंजीयन क्रमांकै भ्त्थ्भ्व्१४४ दिनांक १३.०२.१९७५ है।

कर्मचारी प्रबंध :-

जिला सहकारी कृशि एवं ग्रामीण विकास बैंक में प्रबंधकीय व प्रषासकीय स्तर पर सर्वोच्च अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी (महाप्रबंधक) होता है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी के अधीन षाखा प्रबंधक, लेखापाल, पर्यवेक्षक आदि कार्य करते है। वर्तमान में जिला सहकारी कृशि एवं ग्रामीण विकास बैंक राजनांदगांव में महाप्रबंधक के अधीन कुल २७ सेवायुक्त कार्यरत हैं जिनमें से ०७ मुख्यालय में व षेश २० बैंक की ४ षाखाओं में पदस्थ हैं।

संचालक मंडल :-

सहकारिता अधिनियम के तहत बैंक में एक संचालक मंडल का गठन निर्वाचन के आधार पर किया जाता है। संचालक मंडल का निर्वाचित अध्यक्ष जिसका कार्यकाल तीन वर्श का होता है, के हाथों में बैंक की सत्ता होती है। बैंक का महाप्रबंधक संचालक मंडल का पदेन सचिव होता है जो अपने कर्तव्यो का निर्वहन अध्यक्ष के निर्देषन व नियंत्रण में करता है। बैंक के संचालक मंडल के अध्यक्ष पद पर प्राय: सत्तारूढ दल से संबंधित नेता ही आसीन होते हैं।

साधारण सभा :-

बैंक द्वारा वर्श में एक बार सदस्यों की साधारण सभा आयोजित करना अनिवार्य होता है बैंक की वार्शिक साधारण सभा मे निम्न विशयों पर विचार विमर्श कर निर्णय लिये जाते है:-

१. अंतिम लेखा व लेखा परीक्षण की टिप्पणियों पर विचार
२. बैंक की उपविधियों मे परिवर्तन
३. आगामी वर्श की योजनाओ पर विचार जहाँ तक प्राधिकारो का प्रष्न है साधारण सभा सर्वोत्तम है, जिसके निर्णय अंतिम होते है।

अंषपूंजी :-

बैंक की अंषपूजी को अ,ब,एवं स वर्ग के सदस्यो से एकत्र किया जाता है, जो व्यक्ति बैंक से ऋण लेता है वह अ वर्ग का सदस्य कहलाता है। इन्हे बैंक से ली जाने वाली ऋण राषि के ५ प्रतिषत के बराबर बैंक के अंष अनिवार्यत: क्रय करनं होते है। इस प्रकार कृशक बैंको के अंषो को क्रय करके अ वर्ग का सदस्य बन गया है। अ वर्ग क सदस्यो को संचालको के चुनाव मे मतदान करने व चुनाव लडने का अधिकार होता है। ब वर्ग के सदस्य वे होते है, जिनका अ वर्ग के सदस्य द्वारा ऋण हेतु गिरवी रखी हुई संपत्ति पर सहस्वामित्व हो। ब वर्ग के सदस्यों को ५ रु अंकित मूल्य का एक अंष अनिवार्य रूप से क्रय करना होता है। इन्हे संचालक मंण्डल के चुनाव मे मतदान करने व चुनाव लडने का अधिकार नही होता है।

सवर्ग की सदस्यता राज्य षासन को प्राप्त होती है। राज्य षासन द्वारा समय-समय पर बैंक मे अंषदान किया जाता है। अंषदान के फलस्वरूप बैंक के संचालक मंण्डल में चार व्यक्ति नामांकित करने का षासन को अधिकार होता है।

बैंक की अंष पूजी मे अध्यायित वर्शो के दोरान विभिन्न वर्ग के सदस्यो के योगदान का विवरण निम्नानुसार रहा है-

सारणी क्रमांक - १

जिला सहकारी कृशि एवं ग्रमीण विकास बैंक राजनांदगांव अंषपूंजी में योगदान

वर्श कुल अंषपूंजी
(लाख में) अंषदान प्रतिषत रूप में
अ वर्ग ब वर्ग स वर्ग

२००६-०७	१३६.३७	६९.४२	.४७	३०.११
२००७-०८	१५७.१९	५८.९६	.४१	४०.६३
२००८-०९	१५७.१८	६०.३४	.४३	३९.२३
२००९-१०	१५१.३१	६०.२५	.४५	३९.३०
२०१०-११	१६२.९०	५१.४९	.४२	४८.०९

स्त्रोत:- जिला सहकारी कृशि एवं ग्रामीण विकास बैंक राजनांदगांव के वार्शिक प्रतिवेदन २०१०-११

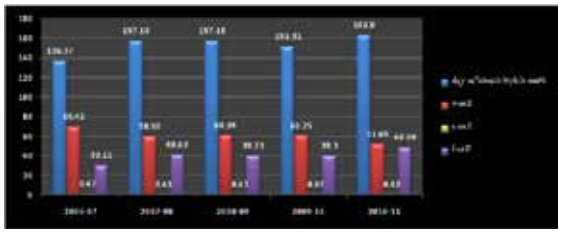

उपरोक्त तालिका से स्पश्ट है कि जिला सहकारी कृशि एवं ग्रामीण विभाग बैंक की अंषपूजी मे सर्वाधिक हिस्सा (योगदान) संदैव अ वर्ग के सदस्यो का ही रहा है दूसरा प्रमुख हिस्सा स वर्ग (राज्य षासन) का रहा है। ब वर्ग के सदस्यों का योगदान नगण्य हे।

निक्षेप :-
जिला सहकारी कृशि एवं ग्रामीण विकास बैंक, द्वारा राश्ट्रीकृत बैंको की भंति अपने काउंटर पर बचत खाता, चालू खाता की जमाएं स्वीकार नहीं की जाती लेकिन षीर्श बैंक की ओर से उन्हे निक्षेप प्राप्त करने के लिए एजेंट के रूप मे अधिकृत किया गया है जिसके फलस्वरूप जिला बैंक द्वारा निम्न योजनाओ के तहत निक्षेप स्वीकार किये जाते है।

जिला बैंक निपेक्ष में संग्रहित राषियो को राज्य बैंक को पास ऑन कर देते है इस हेतु जिला बैंक को जमा राषि पर १ प्रतिषत कमिषन प्राप्त होता है बैंक द्वारा विगत वर्शो मे संग्रहित निक्षेप राषियां निम्नानुसार रही है-

सारणी कमांक -२
जिला सहकारी कृशि एवं ग्रमीण विकास बैंक राजनांदगांव प्राप्त जमाओं (निक्षेपो) का विवरण

वर्श प्राप्त
२००६-०
२००७-०
२००८-०
२००९-१
२०१०-१

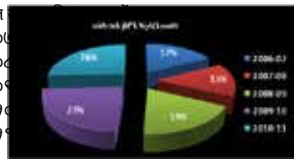

स्त्रोत:- जिला सहकारी कृशि एवं ग्रामीण विकास बैंक राजनांदगांव का वार्शिक प्रतिवेदन (२०१०-२०११)

उपरोक्त विवरण से स्पश्ट होता है कि बैंक द्वारा निक्षेप के क्षेत्र में निरंतर उल्लेखनीय प्रगति की गई है, इसकी सराहना षीर्श बैंक ने भी की है।

षीर्श बैंक के ऋण:-
बैंक द्वारा ऋणों की आपूर्ति हेतू वित्तीय व्यवस्था में षीर्श बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है जब किसी ऋण प्रकरण मे जिला बैंक ऋण स्वीकृत करता है तो ऋण से संबंधित बंधक विलेख की प्रति षीर्श बैंक को प्रेशित कर प्रतिपूर्ति राषि षीर्श बैंक से प्राप्त कर लेता है, षीर्श बैंक द्वारा इस दी गई राषि पर जिला बैंक से ब्याज वसूल किया जाता है।

उपरोक्त के अलावा जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक राजनांदगांव से अधिविकर्श, बैंक की निधियों आदि के फलस्वरूप बैंक की कार्यषील पूंजी मे निरंतर बढोत्तरी हुई है।

ऋण प्रकिया :-
जिले का कोई भी कृशक जो सहकारी कृशि एवं ग्रामीण विकास बैंक रा. जनांदगांव से ऋण लेना चाहता है वह बैंक द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र पूर्णरूप से भरकर, आवष्यक दस्तावेज नत्थी कर उसे बैंक मे जमा करता है बैंक द्वारा ऐसे आवेदन पत्रों के लिये रजिस्टर रख जाता है जिसमें प्राप्त आव. `दन पत्रो की तिथिवार प्रविश्टी कर उसी कम मे कार्यवाही की जाती है।

आवेदन पत्र पूर्ण होने पर उसे मूल्यांकन हेतु मूल्यांकक को अग्रेशित किया जाता है। मूल्यांकक स्थल पर जा कर ऋण प्रकरण संबंधी सभी आवष्यक पहलुओं की गहन जांच पडताल कर अपना प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप से अधिकतम ५ दिन के अंदर जिला बैंक को प्रस्तुत करता है।

मूल्यांकन प्रतिवेदन सहित आवेदन पत्र प्राप्त होने पर बैंक बंधक रखी गई भूमि की जांच रजिस्ट्रार कार्यालय के रिकार्ड से करता है। तथा प्रकरण उपयुक्त पाये जाने पर बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है। तथा यदि जिला बैंक को ऋण स्वीकृति के अधिकार प्राप्त नही है तो प्रकरण षीर्श बैंक को स्वीकृति हेतु भेजा जायेगा । षीर्श बैंक इस पर अधिकतम १५ दिनो के भीतर अंतिम आदेष पारित कर देता हैं

प्रकरण स्वीकृति के पष्चात् आवेदक को बैंक मे बुलवाकर बंधक विलेख का निश्पादन करवाया जाता है बंधक विलेख निश्पादन के बाद बैंक अपनी निधियों से तुरंत ऋण वितरीत कर बंधक विलेख षीर्श बैंक को प्रशित कर राषि प्रतिपूर्ति प्राप्त करता हैं । ऋण हेतु आवेदन अस्वीकार किये जाने की दषा मे उसके लिये कारण बैंक द्वारा आवेदक को संसूचित कर दिये जाते हैं।

प्रदत्त ऋण :-
जिला सहकारी कृशि एवं ग्रामीण विकास बैंक राजनांदगांव द्वारा जिले के कृशको को विभिन्न प्रयोजनो हेतु वितरीत किये गये ऋणो का वर्श वार विवरण निम्नानुसार है:-

सारणी कमांक - ३
जिला सहकारी कृशि एवं ग्रमीण विकास बैंक राजनांदगांव वितरीत ऋणों का वर्शवार विवरण

ऋण प्रयोजन	वितरीत ऋण					योग
	२००६-०७	२००७-०८	२००८-०९	२००९-१०	२०१०-११	
डीजल पंप	-	१.०१	.२३	.२५	-	१.४९
सबमर्सिवल पंप	२.५३	३.१९	१.७६	१.१०	०.७०	९.२८
नलकूप	०.२८	-	०.२०	-	-	.४८
ट्रेक्टर,पावरट्रीलर	२१.९५	१३२.९०	१८०.२२	९७.४१	९७.५०	५२९.९८
बैलजोडी, गाडी	३.४५	१७.६९	१८.५८	९.७५	६.११	५५.५८
मछली पालन	-	-	-	-	१.९०	१.९०
अन्य	१.९७	२.८१	९.१८	१०.६८	१.७०	२६.३४
योग	३०.१८	१५७.६०	२१०.१७	११९.१९	१०७.९९	६२५.०५

स्त्रोत:- जिला सहकारी कृशि एवं ग्रामीण विकास बैंक राजनांदगांव के वार्शिक प्रतिवेदन (२०१०-११)

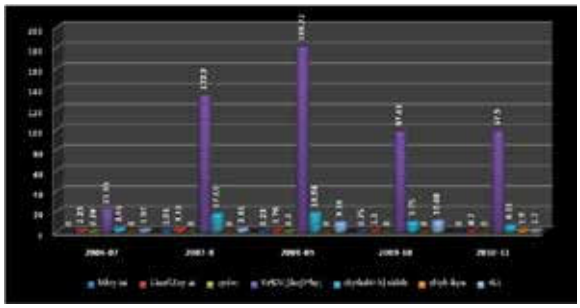

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि अध्ययित वर्शो के दौरान बैंक द्वारा कृशि क्षेत्र में विभिन्न प्रयोजनो हेतू ६२५१.०५ लाख रू के ऋण वितरीत किये गये है। सर्वाधिक ऋण टेक्टर प्रकरणों में ८४.७९: तथा सबसे कम ऋण वितरण ०.०७७: नल कूप प्रकरणों मे रहा है।

ब्याज दरें :-
जिला सहकारी कृशि एवं ग्रामीण विकास बैंक राजनांदगांव की ऋण वितरण हेतु ब्याज दरें अन्य बैंको की तुलना में कम है तथा बैंक द्वारा निक्षेप योजनाओं पर दिया जाने वाला ब्याज १ वर्श का ८.७५: तथा २ वर्श का अधिकतम ९.२५: प्रति वर्श है

ऋणो की वसूली :-
बैंक द्वारा हितग्राही को जो ऋण वितरीत किया जाता है उसमे से छूट अवधि तक तो कृशक से केवल ब्याज की राषि ही वसूल की जाती है। इसके पष्चात् ऋण की राषि पर ब्याज व मूलधन के आधासर पर किष्त निर्धारित कर वसुली की जाती है सामान्यत: कृशको से वसूली हेतू उनके द्वारा उत्पादित खरीफ/रबी फसल को ध्यान मे रखकर ३१ जनवरी व ३१ मई किष्त चुकाने की तिथिया दी जाती है ताकि कृशक अपनी उपज का विक्रय कर बैंक की किष्त का भुगतान आसानी से कर सको बैंक में राज्य षासन की ब्याज अनुदान योजना लागू है जिसमें किसानो को पुर्व के ऋणे पर ३: ब्याज पर ऋण वसुल किया जा रहा है

लेकिन यह पाया गया कि इसके बावजुद भी कृशको से ऋणों की वसूली मे बैंक को अनेक बाधाओ का सामना करना पडता है। इसकी प्रमुख वजह सूखा, अतिवर्शा, ऋणों का दूरूपयोग, राजनीतिक दखलंदाजी पाई गई है।

कालातीत ऋण :-
किसी वर्श के लिये ऋणकर्ता (कृशक) से प्राप्त होने वाली राषि जो निर्धारित अंतिम तिथि तक बैंक को प्राप्त नही हो पाती वह कालातीत ऋण कहलाती है। हर वर्ग के बैंक की भांति जिला सहकारी कृशि एवं ग्रामीण विकास बैंक राजनांदगांव भी कालातीत ऋणों की समस्या से ग्रस्त है

अध्ययन अवधि मे कालातीत ऋण औसतन ४४: रहे है। बैंक द्वारा छत्तीसगढ सहकारी कृशि एवं ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम १९९९वी धारा २३ व २६ के तहत ऐस चुककर्ताओ के विरुद्ध सम्पत्ति की जब्ती व नीलामी की कार्यवाही की गई है।

आय व्यय का अध्ययन :-
बैंक की आय व व्यय की मदों का गहन अध्ययन करते हुये लाभ हानि का विष्लेशणात्मक विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है :-

आय की मदें :-
बैंक के आय की मुख्य मदें निम्न है:-

१. वितरीत ऋणों पर प्राप्त ब्याज
२. अमानत एवं अन्य पर प्राप्त ब्याज
३. अंषो पर लाभांष
४. अन्य प्राप्तियां

व्यय की मदें :-
जिला सहकारी कृशि एवं ग्रामीण विकास बैंक राजनांदगांव को अपने कार्यो के संचालन के लिये अनेक प्रकार के व्यय करने पडते है। व्यय की प्रमुख मदें निम्न हैं:-
१. षीर्श बैंक को चुकाया गया ब्याज
२. अमानत एवं अन्य पर दिया गया ब्याज

३. व्यवस्थापन व्यय
४. प्रषासनिक व्यय
५. निधि निर्माण/प्रावधान

अध्ययित वर्शों में बैंक के औसत व्यय २२३.०२ लाख रु प्रति वर्श रहें है इसमें ६५.८५: तो केवल षीर्श बैंक से ली गई ऋण राषि पर चुकाय गये ब्याज के हैं इस प्रकार व्ययों में सबसे ज्यादा भार इन चुकाए गए ब्याज का है इसी प्रकार अमानत व अन्य पर दिया गया मद का व्यय में हिस्सा १०.२६: व्यवस्थापन व्यय का २०.२२: प्रषासनिक व्यय का ३.६७: रहा है।

आय व्यय का तुलनात्मक अध्ययन निम्नांकित तालिका से बैंक के विभिन्न वर्शो के आय व व्यय की तुलना की जा सकती है:-

तुलनात्मक अध्ययन
सारणी कमांक :- ४ जिला सहकारी कृशि एवं ग्रामीण विकास बैंक राजनांदगांव आय व्यय का

वर्श	कुल आय	कुल व्यय	हानि
२००६-०७	१२१.६७	१४०.४५	१८.७८
२००७-०८	२२२.१२	२७४.७९	५२.६७
२००८-०९	२३२.००	३०४.००	७२.००
२००९-१०	१८७.००	३०४.००	११७.००
२०१०-११	३५२.३१	३९४.००	४१.६९

स्त्रोत:- जिला सहकारी कृशि एवं ग्रामीण विकास बैंक राजनांदगांव के वार्शिक प्रतिवेदन (२००६-०७ से २०१०-११)

उपरोक्त तालिका से स्पश्ट है कि जिला सहकारी कृशि एवं ग्रामीण विकास बैंक राजनांदगांव के व्ययों की तुलना में आय हर वर्श कम रही है जिसके फलस्वरुप बैंक लगातार हानि में चल रहा है।

बैंक से प्रत्यक्ष संपर्क रखने वाले विभिन्न वर्गो यथा कृशक (अंषधारी), कर्मचारी प्रषासक, जनप्रतिनिधि से बैंक की कार्यप्रणाली के संबंध में विचारों संकलित करते हुये इस संबंध मे उनके द्वारा प्रस्तुत सुझावों को भी षामिल किया गया है।

विभिन्न वर्गो से प्राप्त विचारों के आधार पर बैंक की कार्यप्रणाली की अनेक खामियां सामने आई जैसे ऋण प्रक्रिया की जटिलता, षीर्श बैंक पर अत्यधिक निर्भरता बैंक के कार्यो में राजनैतिक हस्तक्षेप आदि। इन दोशों का निवारण किया जाना बैंक की प्रगति के लिये आवष्यक है।

समस्याएं :-
जिला सहकारी कृशि एवं ग्रामीण विकास बैंक राजनांदगांव के अध्ययन के दौरान ज्ञात हुआ है कि यह बैंक अनेक समस्याओं से जुझ रहा है। प्रमुख समस्याएं इस प्रकार है:-

- बैंक एक लबें समय से स्टाफ की कमी से जुझ रहा है। भर्ती प्रक्रिया वर्शो से बंद पडी है।
- तकनीकी कर्मचारियों के अभाव में बैंक के तकनीकी कार्य गैर तकनीकी अधिकारियों द्व ारा किये जा रहे है।
- बैंक सेवायुक्तो के द्वारा राश्ट्रीयकृत बैंको के कर्मियो की भातिं ७ घटें कार्य किया जाता है, लेकिन उन्हें राश्ट्रीयकृत बैंको के कर्मियो की तुलना में वेतन व सुविधाऐं बहुत कम मिलती है।
- ग्राहको की यह षिकायत रहती है कि बिना लेन देन के यहां कोई कार्य नहीं होता।
- बैंक से ऋण लेने हेतु की जाने वाली प्रक्रिया बहुत लंबी व जटिल होती है, जिसके कारण कई कृशक ऋण लेने का विचार ही त्याग देते हैं।
- बैंक की स्थापना १९७५ में हुई थी। स्थापना के इतने वर्शों बाद भी बैंक का अपना भवन नहीं है। आज भी बैंक मुख्यालय व षाखाऐं किराये के भवनों में संचालित हो रही है।
- बैंक की जिले में ४ षाखाऐ हैं जो जिले के विषाल भौगोलिक क्षेत्र को देखते हुए काफी कम है। षाखाओं की कमी के कारण बैंक का व्यवसाय आषातीत प्रगति नहीं कर पाया है।
- जिला बैंक को अनेक कार्यो हेतु षीर्श बैंक पर निर्भर रहना पडता है। जिससे बैंकिंग कार्यों में अनावष्यक विलंब होता है।
- बैंक सेवायुक्तों हेतु आवष्यक प्रषिक्षण की व्यवस्था राज्य में नहीं है। राज्य के बाहर भेजने पर खर्च अधिक आता है।
- बैंक के कालातीत ऋणों ने बैंक को वित्तीय संकट में डाला हुआ है।
- वित्त व स्टाफ की कमी के कारण बैंक द्वारा षाखाओं व ऋण के उपयोगीकरण की जॉच नहीं हो पा रही हैं।
- वित्तीय समस्याओं के चलते बैंक को जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक राजनांदगांव से उंची ब्याज पर अधिविकर्श लेने विवष होना पडता है।
- बैंक के समक्ष एक गंभीर समस्या उसके कार्यो में बढता हुआ राजनैतिक हस्तक्षेप है।
- बैंक की संचालन लागते निरंतर बढ रही है। जिसके कारण बैंक को प्रतिवर्श हानि का सामना करना पड रहा है।

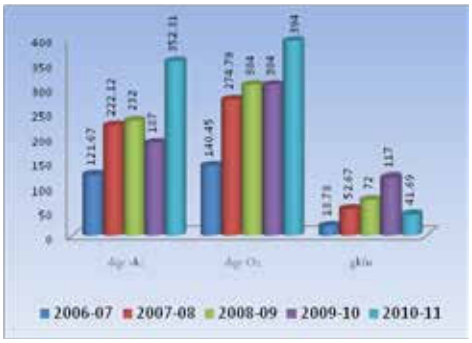

निश्कर्श व सुझाव :-
प्रस्तुत षोध में मूलरुप से बैंक की कार्यप्रणाली एवं बैंक के नियमों का गहन अध्ययन कर उनका जिले के कृशको की आय व प्रगति पर पडने वाले प्रभाव की जांच की गई है। इससे पता चला है कि बैंक ने किस प्रकार अपने महत्वपूर्ण प्रयास किये तथा कौन-कौन सी कमियों से बैंक उबर नही पाया है।

बैंक के निक्षेप उपलब्धिपूर्ण रहे है। अंषपूंजी मे भी निरंतर वृद्धि हुई है। कृशको की रुचि अब कृशि के आधुनिक साधनो मे बढी है। कृशको द्वारा उन्नत कृशि व अपनी आय मे वृद्धि हेतु ट्रेक्टर का इस्तेमाल निरंतर बढता जा रहा है। जिला सहकारी कृशि एवं ग्रामीण विकास बैंक, राजनांदगांव द्वारा कृशको को ट्रेक्टर हेतु अधिकाधिक ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। वर्श २००६ से २०११ की अवधि मे बैंक द्वारा कृशको को ट्रेक्टर हेतु ५२९.९८ लाख रुप्ये के ऋण वितरीत किये गये है।

ट्रेक्टर के अलावा बैंक द्वारा कृशको को अन्य विविध प्रयोजनो जैसे पंप सेट, बैलजोडी गाडी, हेतु भी निरंतर ऋण उपलब्ध कराये गये हैं। जिससे जिले के कृशको को प्रगति के अवसर उपलब्ध हुये है।

बैंक के वितरीत ऋणों से कृशकों की आय में वृद्धि व प्रगति का जब जायजा लिया गया तो पता चला कि बैंक के ऋण निवेष से जहाँ कुछ क्षेत्रों में कृशकों की आय में वृद्धि हुई। वहीं कुछ क्षेत्रों में बैंक का ऋण निवेष निश्फल भी रहा है। इसके कारणो की जाँच भी की गई है। बैंक के ऐसे भी ऋण निवेष देखे गये जिससे कृशक की आय मे वृद्धि तो हुई लेकिन कृशक द्वारा राजनैतिक प्रभाव के चलते किष्तों की अदायगी नही की गई।

ऋणी सदस्यो की घटती संख्या
बैंक के ऋणी सदस्यो की संख्या जहाँ वर्श २००६-०७ में ५०७७ थी, वहीं २०१०-११ में यह ५५२७ ही है। जिससे जिले के कृशकों के इस बैंक से जुडाव कम होने के संकेत मिलते है इसकी वजह निम्नानुसार पाई गई है।

बैंक की जिले में मात्र ५ (अब ४) षाखाऐं है। जिले के विषाल भौगोलिक क्षेत्र को देखते हुए यह काफी कम है। दूर-दराज क्षेत्र के कृशक दूरी की वजह से इस बैंक से नही जुड पाये है। बैंक द्वारा केवल दीर्घकालीन ऋण दिये जाने के कारण जिले के अधिकांष ऐसे कृशक जिन्हे अल्पकालीन व मध्यकालीन कृशि ऋणो की आवष्यकता पडती है वे इस बैंक से नही जुड पाते है। दीर्घकालीन ऋणों की आवष्यकता वाले बडे कृशक तो बैंक की योजनाओं का लाभ ले लेते है। लेकिन लघु कृशक इस बैंक से समुचित मात्रा में नही जुड पाये हैं। जिससे लघु कृशको व बैंक के बीच एक रिक्तता की स्थिति आ गई है। जिसका फायदा साहूकारों द्वारा आज भी उठाया जा रहा है। आज भी साहूकारो की महत्ता कम नही हुई है। साहूकारो की ऊँची ब्याज दरो क बावजूद कृशको का उनके पास जाना बैंक की उपयोगिता पर प्रष्न चिन्ह लगाता है। वस्तुत: कृशको की अषिक्षा, बैंक की ऋण प्रक्रिया की जटिलता, ५ प्रतिषत अंषपूंजी की अनिवार्यता आवष्यकता पडने पर अतिरिक्त ऋण राषि की अनुपलब्धता, सेवायुक्तो द्वारा पैसो की मांग आदि ऐसे कारक है जिनकी वजह से छोटे कृशक बैंक का रुख करना पसंद नही करते।

ईरादतन और गैर ईरादतन चुककर्ताओ के कारण बढते कालातीत ऋण, बढती संचालन लागते, आयों में अपेक्षित वृद्धि के अभाव, षीर्श बैंक का बढता ऋण भार आदि ने बैंक को घोर वित्तीय संकट में डाल दिया है।

बैंक सेवायुक्तों के लिये प्रषिक्षण अवसरों की कमी उन्हे छटवे वेतनमान का लाभ न मिलना, ७ घण्टें की ड्यूटी षीर्श पदो पर पदोन्नति के अवसरों के न होने के कारण बैंक सेवायुक्तों में निराषा व्याप्त है। ऐसी स्थिति में उनसे बैंक की प्रगति के लिये समर्पित भाव से काम करने की आषा करना व्यर्थ है।

इस प्रकार बैंक न तो कृशको के सच्चे मित्र के रूप में अपनी पहचान बना सका है न ही अपने सेवायुक्तो को संतुश्ट कर सका है। प्रतिवर्श घाटा होना इस बैंक की पहवान बन गई है। इन दषाओं में बैंक की प्रगति की आषा करना व्यर्थ है।

बैंक की समस्याओं को ज्ञात कर उन्हें सुलझाने की दिषा में कुछ प्रयास यदि किये गये हो तो

बैंक की यह दषा न होती।

प्रस्तुत षोध में बैंक की कार्यप्रणाली के गहन अध्ययन के उपरान्त इसकी ज्ञात समस्याओं का उल्लेख करते हुए उनके समाधान हेतू सुझाव प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

बैंक की कार्यदषा में सुधार हेतू प्रस्तूत सुझाव निम्नानुसार है :-

- बैंक में रिक्त पडे पदों पर तत्काल भर्ती की जानी चाहिए। भर्ती करते समय बी.एस.सी. कृशि व बी.ई. मेकेनिकल पास उम्मीद्वारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ताकि बैंक में तकनीकी विषेशज्ञों की कमी भी दूर हो सकें।
- ऋण प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाना चाहिए।
- बैंक को ऋण वितरण कार्य में छोटे कृशकों का विषेश ध्यान रखना चाहिए। उनके लिए ५ प्रतिषत अंषपूंजी क्रय करने की अनिवार्यता वाली षर्त को षिथिल करते हुए इसमें कुछ छूट दी जानी चाहिए।
- बैंक सेवायुक्तो का वेतनमान अत्यधिक कम है जो जीवन निर्वाह के लिए अपर्याप्त है। अत: इनमें षीघ्र ही उचित व आवष्यक संषोधन किया जाना चाहिए।
- बैंक सेवायुक्तों हेतु उचित प्रषिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए।
- बैंक में राजस्व रिसाव को रोकने व लागत नियंत्रण जैसे विशयों पर कर्मचारियों को सघन प्रषिक्षण दिया जाना चाहिए।
- ऋण वितरण करते समय परियोजना का मूल्यांकन बडी सावधानी से करना चाहिए ताकि बैंक का यह ऋण वितरण निश्फल निवेष न हो सके।
- कृशक द्वारा ऋण लिये जाने के पष्चात् ऋण प्रयोजन की पूर्णता हेतु कृशक को यदि पुन: ध्यान की आवष्यकता पडे तो बैंक द्वारा प्रकरण का सूक्ष्म अध्ययन कर आवष्यकतानुसार ध्यान उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि कृशक साहूकारों के चंगूल में न फंस सकें।
- बैंक ऋण चूककर्ताओं की सूची समाचार पत्रों में प्रकाषित करने का प्रावधान बैंक की उपविधियों में किया जाना चाहिए। जिले के ९ विकास खण्डों में मात्र ४ में ही बैंक की षाखाऐं हैं, षेश ५ विकास खण्डो में भी बैंक की षाखाऐं खोली जानी चाहिए।
- बैंक सेवायुक्तो का ग्राहकों (कृशको) से व्यवहार स्वामियों की तरह नहीं बल्कि सेवक (मित्र) की भांति होनी चाहिए।
- बैंक को अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने हेतु स्वयं के वित्तीय स्त्रोत विकसित करने चाहिए।
- जिला सहकारी कृशि एवं ग्रामीण विकास बैंक को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान करते हुए उसकी षीर्श बैंक पर निर्भरता समाप्त की जानी चाहिए।
- बैंकिंग कार्यो को राजनैतिक हस्तक्षेप से मुक्त करने हेतु संचालक मंडल के चुनावों में राजनैतिक पार्टी से सम्बद्धता रखने वालों के चुनाव लडने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए।
- उपरोक्त सुझावों पर गंभीरतापूर्वक अमल करने से बैंक की स्थिति में नि:संदेह आषाजनक सुधार आएगा, जिससे बैंक व जिले के कृशक दोनो ही लाभान्वित होंगे।

REFERENCES

१. पंत जे.सी. ''व्यश्टि अर्थषास्त्र'' द्य २. मदनलाल जिंदल ''छत्तीसगढ सहकारी सोसायटी अधिनियम १९६०'', द्य (प्रकाषक: राजकमल पब्लिकेषन्स, इन्दौर- २००४) द्य ३. डॉ.राधेष्याम द्विवेदी,२००१, ''मध्यप्रदेष सहकारी कृशि और ग्रामीण विकास बैंक'', कर्मचारी सेवा (नियोजन, निबंधन तथा उनकी कार्य स्थिति) नियम १९८३ द्य ४. माथुर, गुप्ता ''सहकारी चिंतन एवं ग्रामीण विकास अग्रवाल'' द्य ५. डॉ. प्रभाकर पाण्डे ''छत्तीसगढ के आर्थिक विकास में सहकारी अधिकोशो की भूमिका '' द्य ६. श्री द.प्र.कन्नौजि ''किसानों का सहायक मित्र सहकारी भूमि विकास बैंक'' द्य ७. केषव सिंह ''कृशि एवं ग्रामीण बैंकिंग नवाचार एवं नवीन प्रवृत्तियां'' द्य ८. डॉ.जयंती प्रसाद नौटियाल ''कृशित्तर ग्रामीण ऋण और बैंकों की भूमिका'' द्य ९. बैंक ऋण वसूली प्रबंध विविध आयाम-ष्यामलाल गौड, डॉ. दलसिर यादव द्य १०. ऋण मैन्युअल-म.प्र. राज्य सहकारी कृशि और ग्रामीण विकास बैंक, भोपाल द्य ११. पी.डी.माहेष्वरी, व्ही.डी.जोषी ''बैंकिग एवं राजस्व'' द्य पत्रिकाएं द्य १. योजना द्य २. जिला सहकारी कृशि एवं ग्रामीण विकास बैंक राजनांदगांव के वार्शिक प्रतिवेदन २००६-२०११ द्य ३. कृशक जगत द्य ४. उद्यमिता द्य ५. सहकारी सुमन द्य ६. सफलता की कहानी, कृशकों की जुबानी छत्तीसगढ राज्य सहकारी कृशि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, रायपुर।